INDIA TEN RUPEES भारत बीस रुपये INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (मध्य- प्रदेश) ।

प्रकरण क्रमांक ।२०१७-१८।पुनरीक्षण याचिका

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2018/1492

प्रस्तुत किए 28.2.2018
सुनवाई हेतु 9-3-18 नियत।
28-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामाधार नाई पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद नाई,
निवासी ग्राम - चितरंगी तहसील चितरंगी
जिला - सिंगरौली (म०प्र०) ---- याचिका कर्ता

बनाम

राजन सिंह पुत्र श्री रामानुज वैश्य, निवासी
ग्राम - धोधरा तहसील चितरंगी जिला -
सिंगरौली (म०प्र०) ---- प्रति याचिकाकर्ता

28/02/2018

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० भू- राजस्व संहिता १९५९, अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल - चितरंगी, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म०प्र०) द्वारा प्र०क्र० ०३।२०१७-१८। अ- १२ में विरूद्ध पारित अंतिम आदेश दिनांक १५-११-२०१७ से व्यथित होकर के ।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी।याचिका कर्ता कि याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

१- यह कि, प्रति याचिका कर्ता के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा प्रकरण क्रमांक ०३।२०१७-१८।अ-१२ में प्रार्थी के विरूद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना उसका पक्ष सुने एकतर्फा तौर पर सीमांकन किया गया जिससे व्यथित होकर के प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

२- यह कि, प्रति याचिका कर्ता ने सर्वे क्रमांक ५२५ जिसका रकबा - ०.०६० हे० अर्थात ६ विस्वा कृषि भूमि का सीमाकंन किये जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी जिला - सिंगरौली (म०प्र०) के समक्ष दिया था । राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक १५-११-२०१७ को सीमाकन प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया । याचिका कर्ता ने अपनी आपत्ति दर्ज कराना

----- २

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2018/1492

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 03/17-18/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	